संख्याः 07 /XVII(4)/2011/02(2)/11

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 08 फरवरी, 2012

विषयः— **चालू वित्तीय वर्षः 2011–12 में आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड से सम्बन्धित अनुदान संख्याः 15, 30 एवं 31 की विभिन्न योजनाओं की अवचबद्ध मदो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1329/ आई0सी0डी0एस0 बजट मांग–1975/ 2011–12, दिनांक 28–9–2011, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं की अवचनबद्ध मदो हेतु संलग्नक 1, 2 व 3 में उल्लिखित विवरणानुसार क्रमशः अनुदान संख्याः 15 के आयोजनागत पक्ष में रू0 49,01,72,000/– (रू0 उन्चास करोड़ एक लाख बहत्तर हजार मात्र), अनुदान संख्या 30 के आयोजनागत पक्ष में रू0 7,53,11,000/– (रू0 सात करोड़ तिरपन लाख ग्यारह हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या 31 के आयोजनागत पक्ष में रू0 2,00,14,000/– (रू0 दो करोड़ चौदह हजार मात्र) अर्थात इस प्रकार कुल धनराशि रू0 58,54,97,000/– (रू0 अठावन करोड़ चव्वन लाख सतानबे हजार मात्र) की व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31–03–2011 में निहित प्रतिबन्धों तथा शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय पूर्व में संगत मदो में स्वीकृत की गई धनराशि के पूर्ण व्यय हो जाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्कतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, संपूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत कार्यालयों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

10. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा।

13. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

15. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या–397 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 7–2–2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 07 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव